मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6– 4 –2015–3–एक भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः– सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों को शासकीय गवाह के रूप में आहूत किये जाने पर टीए/डीए प्रदाय करने के सम्बन्ध में निर्देश।

किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को न्यायालय आदि के पेशी पर बुलाया जाता है, इस प्रकार की यात्राओं के सम्बन्ध में **मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम के सेक्शन–xxiii के अन्तर्गत सहायक नियम–136** में निहित प्रावधानों के अंतर्गत टी.ए./डी.ए. प्रदाय करने के सम्बन्ध में पात्रता का प्रावधान रखा गया है।

2– बहुधा यह देखा गया है कि किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को जब किसी प्रकरण में शासकीय गवाह के रूप में माननीय न्यायालय में गवाही/साक्ष्य के लिये बुलाया जाता है, तब उन्हें टी.ए./डी.ए. आदि की सुविधा से वंचित रखा जाता है। उन्हें स्वयं के खर्चे पर आना पडता है। यह स्थिति न तो उचित है, और न ही व्यवहारिक।

3– अतः ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक (अधिकारी/कर्मचारी) जिनको किसी न्यायालय में साक्ष्य आदि के लिए आहूत किया जाता हो, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक द्वारा की गयी यात्रा के सम्बन्ध में उक्त कंडिका–एक में वर्णित यात्रा भत्ता नियम/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी 6–4–2015–3–एक भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग